अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, बोकारो।

Miss review Case No. –01/2018–19

(महाबीर साहु बनाम् मो0 जहुरन बीबी एवं अन्य)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
20-09-2019	प्रस्तुत अपीलवाद इस न्यायालय के म्यूटेशन रिविजन वाद संख्या–09/2016–17 (महाबीर साहू बनाम् जहुरन बीबी एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 30.08.2018 के संदर्भ में पुनः श्री महाबीर साहु पिता स्व0 शिबु साहु क्वाटर नं0–2012, सेक्टर–4/एफ0, थाना–सेक्टर–4, जिला–बोकारो द्वारा इस वाद को लाया गया है।	

भूमि का विवरण निम्नवत् है:–

अंचल का नाम	मौजा का नाम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा (एकड़ में)
चास	नारायणपुर	127	1517	7.03

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा यह बताया गया कि मौजा नारायणपुर, मौजा नं0–33, खाता नं0–127 का खतियान नागर मियां के नाम से दर्ज है और उपरोक्त नागर मियां के वारिशान भोलू मियां ने उपरोक्त खाता के प्लॉट नं0–1517 का रकवा–7.03 एकड़ एवं प्लॉट नं0–1525 का रकवा–2.09 एकड विभिन्न रैयतों को बेच दिया गया है। वर्ष 1989 के बाद भोलू मियां के पास जमीन हीं नहीं बचा। ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी द्वारा दावा करना कि वर्ष 1975 में उनके नाम से देन मोहर के नाम पर दस्तावेज का निष्पादन किया गया था, वो सर्वथा झूठ, फरेब, भ्रामक, मनगढंत, कुटरचित कर दस्तावेज बनाया गया है। वर्ष 1986 के बाद भी लगातार भोलू मियां भू–खण्ड को बेचते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी जहुरन बीबी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराया। अपीलार्थी द्वारा अपने

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	वक्तव्य के समर्थन में रजिस्टर्ड सेल डीड नं0–3380/51, 1556/1986, 3400/1986, 3396/1986, 2217/1987 एवं अन्य कई कागजात न्यायालय में समर्पित किया।
	अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि उक्त मामला हक एवं दावा से संबंधित है, जिसका निस्तारण सक्षम न्यायालय में ही हो सकता है, न कि राजस्व न्यायालय में। तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, बोकारो द्वारा संबंधित वाद (म्यूटेशन रिविजन वाद संख्या–09/2016–17) में दिनांक 30.08.2018 को अंतिम आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में पुनः उक्त वाद में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है।
C. C. Issued Vide No. 1053 Dated 16/11/19	उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी द्वारा दाखिल किये गये Miss review Petition को खारिज करते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। अपीलार्थी चाहें तो अपने हक एवं दावा से संबंधित वाद सक्षम न्यायालय में दायर कर सकते हैं।
	लेखापित एवं संशोधित।
	अपर समाहर्त्ता, बोकारो। अपर समाहर्त्ता, बोकारो।